न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–56/2014

CNR No. UPBB180003472014

दिवाकर प्रसाद बनाम सोहन लाल आदि

<u>24.02.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र क–30</u>

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क–30 मय शपथ पत्र ग–31 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 सोहन लाल का देहान्त दिनांक 09.10.2020 को हो गया है। मृतक प्रतिवादी के पुत्र हरीराम, मनीराम व मयाराम तथा विद्याराम पहले से ही बतौर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 पक्षकार मुकदमा हैं। मृतक की विधवा श्रीमती अवधा व पुत्री शिवदेवी के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक उत्तराधिकारी मृतक का नहीं है। जहां तक जानकारी है कि मृतक ने किसी के पक्ष में कोई वसीयत आदि निष्पादित नहीं की है। वादी गांव देहात का रहने वाला है। वादी यह समझता रहा कि मृतक के पुत्र पक्षकार मुकदमा हैं, जिस कारण समय से प्रार्थना पत्र नहीं दे सका, जिसके लिए क्षमा चाहता है। शेष उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः विलम्ब को क्षमा करने व प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र में संशोधन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की कायम मुकामी चाही गयी है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के हाशिए पर आपत्ति न होने का पृष्ठांकन किया गया है तथा प्रस्तावित विधिक वारिसान की ओर से भी वकालतनामा ग–36 दाखिल किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 सोहन लाल का देहान्त दिनांक 09.10.2020 को होना कहा गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति न होने का पृष्ठांकन भी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Banwari Lal v. Balbir Singh*** (2016) 1 **SCC** 607 में ***Sardar Amarjit Singh Kalra v. Pramod Gupta*** (2003) 3 **SCC** 272, की विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नवत् है:–

"*Laws of procedure are meant to regulate effectively, assist and aid the object of doing substantial and real justice and not to foreclose even an adjudication on merits of substantial rights of citizen under personal, property and other laws. Procedure has always been viewed as the handmaid of justice and not meant to hamper the cause of justice or sanctify miscarriage of justice. <u>A careful reading of the provisions contained in Order 22 CPC as well as the subsequent amendments thereto would lend credit and support to the view that</u>*

they were devised to ensure their continuation and culmination in an effective adjudication and not to retard the further progress of the proceedings and thereby non-suit the others similarly placed as long as their distinct and independent rights to property or any claim remain intact and not lost forever due to the death of one or the other in the proceedings. The provisions contained in Order 22 are not to be construed as a rigid matter of principle but must ever be viewed as a flexible tool of convenience in the administration of justice." माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***Mahipal Singh vs Board Of Revenue And Others*** **WRIT - B No. - 70097 of 2011 (decided on May 13, 2020)** में अवधारित किया कि-

"In the case of Collector, Land Acquisition, Anantnag and another vs. Mst. Katiji and others reported in AIR 1987, S.C. 1353, it was held by the Supreme Court that the Court should adopt liberal approach for condonation of delay. Certain observations were made by the Sureme Court in paragraph 3 of the aforesaid judgement, which is reproduced hereinbelow :-

"The expression "sufficient cause" employed by the legislature is adequately elastic to enable the courts to apply the law in a meaningful manner which subserves the ends of justice--that being the life-purpose for the existence of the institution of Courts." वादी का कथन है कि वादी गांव देहात का रहने वाला है, और वह यह समझता रहा कि मृतक के पुत्र पक्षकार मुकदमा हैं, जिस कारण समय से प्रार्थना पत्र नहीं दे सका, जिसके लिए क्षमा चाहता है। वादी द्वारा विलम्ब हेतु दर्शाया गया कारण पर्याप्त पाया जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां तात्विक न्याय एवं प्रक्रियात्मक न्याय में से किसी एक को चुनना हो, वहां तात्विक न्याय को वरीयता देनी चाहिए। अतः वाद की कार्यवाही समुचित रूप से अग्रसारित करने हेतु वारिसान प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र क-32

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क-32 मय शपथ पत्र ग-33 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 सोहन लाल का देहान्त दिनांक 09.10.2020 को हो गया है। मृतक प्रतिवादी के पुत्र हरीराम, मनीराम व मयाराम तथा विद्याराम पहले से ही बतौर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 पक्षकार मुकदमा हैं। मृतक की विधवा श्रीमती अवधा व पुत्री शिवदेवी के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक उत्तराधिकारी मृतक का नहीं है। जहां तक जानकारी है कि

मृतक ने किसी के पक्ष में कोई वसीयत आदि निष्पादित नहीं की है। वादी गांव देहात का रहने वाला है। वादी यह समझता रहा कि मृतक के पुत्र पक्षकार मुकदमा हैं, जिस कारण समय से प्रार्थना पत्र नहीं दे सका, जिसके लिए क्षमा चाहता है। शेष उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः विलम्ब को क्षमा करने व प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र ग–6 में संशोधन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की कायम मुकामी चाही गयी है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के हाशिए पर आपत्ति न होने का पृष्ठांकन किया गया है तथा प्रस्तावित विधिक वारिसान की ओर से भी वकालतनामा ग–36 दाखिल किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 सोहन लाल का देहान्त दिनांक 09.10.2020 को होना कहा गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति न होने का पृष्ठांकन भी किया गया है। प्रार्थना पत्र क–30 के उपर्युक्त विश्लेषण में उल्लिखित विधि व्यवस्थाएं उक्त प्रार्थना पत्र क–32 के विश्लेषण में भी सहायक हैं। वादी का कथन है कि वादी गांव देहात का रहने वाला है, और वह यह समझता रहा कि मृतक के पुत्र पक्षकार मुकदमा हैं, जिस कारण समय से प्रार्थना पत्र नहीं दे सका, जिसके लिए क्षमा चाहता है। वादी द्वारा विलम्ब हेतु दर्शाया गया कारण पर्याप्त पाया जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां तात्विक न्याय एवं प्रक्रियात्मक न्याय में से किसी एक को चुनना हो, वहां तात्विक न्याय को वरीयता देनी चाहिए। अतः वाद की कार्यवाही समुचित रूप से अग्रसारित करने हेतु वारिसान प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क–30 व क–32 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार वादी संशोधन अविलम्ब करे।

पत्रावली वास्ते अतिरिक्त लिखित कथन दिनांक 08.03.2022 को पेश हो।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज(जू0 डि0),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0 14,
बाराबंकी